न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/61 दायरा दिनांक : 23.05.2022

उनवान

1. बृजमोहन आयु 63 वर्ष आत्मज कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी ग्राम रातडिया तहसील अंता जिला बारां
2. छोटीबाई आयु 75 वर्ष बेवा कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी ग्राम रातडिया तहसील अंता जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– स्व0 रामप्रताप पुत्र भीमडा जाति मीणा निवासी हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास, सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी सरकन्या चोराहा मूंडला बारां सीसवाली रोड तहसील मांगरोल जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1–रूकमणी पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति मीणा निवासी सरकन्या चौराहा मूंडला बारां सीसवाली रोड तहसील मांगरोल जिला बारां

2– उदालाल आत्मज रतना जाति गूजर

3– छीतरलाल आत्मज रतना जाति गूजर

4– गोबरीलाल आत्मज रतना जाति गूजर

5– रामलाल आत्मज रतना जाति गूजर
निवासीगण ग्राम शेरगढ, तहसील अटरू, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कमलदीपसिंह हाडा, अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 1/1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 16.01.2025

ये अपील उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के प्रकरण संख्या – 168/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पीपल्दा कलां तहसील किशनगंज जिला बारां में हाल खसरा नं. 89 रकबा 0.04 हेक्टर एवं खसरा नं. 231 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2021 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, साक्ष्यो एंव दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करने में भारी भूल की है। विवादित भूमि कुल दो किता रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो ग्राम पीपल्दा कलां मे है इन्तकाल नं. 39 दिनांक 01.09.1973 से रेस्पोडेंट कम 1 के खाते दर्ज कर दी गयी है जबकि यह भूमि कभी भी रेस्पोडेंट कम 1 को तत्कालीन खातेदारान या उनके वारिसों ने अथवा किसी भी व्यक्ति ने रेस्पोडेंट कम 1 को न तो बेचान की है, न दान की है, न वसीयत की है। केवल मात्र इन्तकाल के कॉलम नं. 16 में यह लिख दिया कि खातेदारान के बजाय रामप्रताप पुत्र भीमडा मीणा के कब्जे मे चली आ रही है, इस कारण उसकी खातेदारी दर्ज कर दी जावे जबकि कब्जे बाबत रामप्रताप ने कोई सबूत पेश नही किया। इस इन्तकाल में यह भी लिखा है कि उपरोक्त भूमि पर संवत 2012 से रामप्रताप काबिज है किन्तु कब्जे बाबत रामप्रताप ने संवत 2012 से कोई खसरा गिरदावरी या कोई दस्तावेज जो कब्जे को साबित करता हो पेश नही किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट का वाद खारिज करके भारी भूल की है।

वाद पत्र की मद नं. 4 में जो सजरा दिया गया है उसके अनुसार अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि के हकदार है तथा अपीलान्ट का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। वाद पत्र की मद नं. 6 में अपीलान्ट यह स्पष्ट लेकर आये है कि इन्तकाल नं. 39 ग्राम पीपल्दा कलां एक फर्जी व बनावटी दस्तावेज है जिससे रेस्पोडेंट कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है एवं अपीलान्ट इन्तकाल नं. 39 को शून्य घोषित करने के लिये यह वाद पेश कर रहे है। अपीलान्ट की ओर से अपीलान्ट ने अपने वाद के समर्थन में पी.डब्ल्यू 1 बृजमोहन, पी.डब्ल्यू 2 रामभरोस, पी.डब्ल्यू 3 रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल गूर्जर के बयान करवाये तथा रेस्पोडेंट की ओर से डी.डब्ल्यू–1 रामप्रताप, डी.डब्ल्यू–2 रामरतन पुत्र प्रहलाद मीणा के बयान करवाये। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की लिखित बहस पर गौर न करके अपीलान्ट का वाद खारिज करके भारी भूल की है।

प्रतिवादी कम 1 की ओर से जो जवाबदावा दिया गया था, उसमे केवल मात्र उसका एक ही आधार था कि उसको इन्तकाल नं. 39 दिनांक 01.09.1973 से खातेदारी मिली है किन्तु इसके अलावा उसकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गयी तो न्यायालय को केवल मात्र यह देखना था कि इन्तकाल नं. 39 ग्राम पीपल्दा कलां दिनांक 01.09.1973 क्या सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया है अथवा नहीं। जबकि राजस्व मण्डल के विभिन्न निर्णयो में यह स्पष्ट है कि इन्तकाल से खातेदारी अधिकार नही मिलते। सन् 2011 ओलियम प्रथम आर.एस.डब्ल्यू. आर. जे 79 मे मे स्पष्ट उल्लेख है कि इन्तकाल से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब कानूनी बातों की अनदेखी करके अपीलान्ट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिकी दिनाक 09.09.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड से रेस्पोडेंट कम 1 का नाम विलोपित किया जाकर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि दिनांक 09.05.2022 नकल प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस एवं अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 ने नामान्तरकरण सं. 39 से अपने नाम हमारी भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। कोई भी आराजी बेचान, वसीयत व दान से ही हस्तांतरित हो सकती है। कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक हुआ है तहसील को किसी अन्य की भूमि को किसी अन्य के नाम ट्रांसफर का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 का सही विश्लेषण नहीं किया है। तनकी नं. 3 के अनुसार घोषणा का दावा लाने की कोई मियाद नहीं होती है। तनकी नं. 4 में खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2027 पेश की जिसमें हमारा नाम खातेदार कृषक के रूप में 2016 से 2030 तक की गिरदावरियां पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण संख्या 39 के अनुसार क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामा. तस्दीक किया है। कोविडकाल के कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक लिमिटेशन को माफ किया गया है। अतः धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले का शमन किया जाये।

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नहीं है। खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 व 42 मे दिया गया है। नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 01.09.1973 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विपरीत सर्वथा अवैध रूप से रेस्पोन्डेन्ट कम 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया था जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय व डिकी निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी/अपीलान्ट्स तथा रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 को वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने का आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में ए.आई.आर. (राज.) पेज 286, 1984 आर.आर.डी. पेज 391, ए.आई.आर. 1980 (राज.) पेज 21, 2019 (1) आर. आर.टी. पेज 184, 2021(2) डी.एन.जे. रेवेन्यु सुप्रीम कोर्ट पेज 964 की नजीरे उद्धरत की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1/1 द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर भली भांति राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरान्त बयानों पर मनन करते हुए समस्त दस्तावेजों पर गौर किया जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है और जैरकार अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। अपील मेमो की मद नबर 2 में कोई बल नही है जैसा कि स्वयं अपीलांट ने लिखा है कि वह 20 वर्षों से ग्राम रातडिया, तहसील अन्ता मे रहता है तथा रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 5 ग्राम शेरगढ तहसील अटरू में रहते है अर्थात अपीलान्ट का संपूर्ण परिवार जिसमे रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 5 भी शामिल है ग्राम पीपल्दाकलां तहसील किशनगंज में नहीं रहते है और ग्राम पीपल्दाकलां में रहने का कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नही किया अर्थात टिनेन्सी एक्ट 1955 अधिनियम प्रभावी होने के दिन अपीलान्ट ग्राम पीपल्दाकलां और तहसील किशनगंज में निवास नही करते थे और विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त न होकर रेस्पोडेंट कम 1 मृतक रामप्रताप का कब्जा काश्त है इसलिए इन्तकाल नंबर 39 दिनांक 01.09.1973 तस्दीक किया गया और तस्दीक करने से पूर्व हल्का पटवारी पीपल्दाकलां ने संपूर्ण जांच की। संपूर्ण ग्रामवासियान से पूछताछ करके रिकार्ड के आधार पर दिनांक 25.08.1973 को यह रिपोर्ट दी थी कि मृतक रामप्रताप पुत्र भीमराज मीणा निवासी पीपल्दाकलां सम्वत 2010 से ही मुताबिक कर्ता रसीद आराजी पर काबिज काश्त है और काश्त करता चला आ रहा है अर्थात सम्वत 2010 में या 2010 के पूर्व भी अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं था और यदि कब्जा होता तो हल्का पटवारी अपनी जांच रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखता और इन्तकाल नंबर 39 दिनांक 01.09.1973 रेस्पोडेंट कम 1 रामप्रताप के पक्ष में तस्दीक नहीं करता लेकिन अपीलान्ट का कब्जा न होने से इन्तकाल नंबर 39 रेस्पोडेंट कम 1 रामप्रताप के पक्ष में तस्दीक किया गया।

मुख्य बात यह है कि इन्तकाल नंबर 39 दिनांक 01.09.1973 तस्दीक होने के उपरान्त भी अपीलान्ट ने सन 2015 में अधीनस्थ न्यायालय उपखन्ड अधिकारी किशनगंज के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था अर्थात 42 वर्षों तक अपीलान्ट ने इन्तकाल नंबर 39 को कोई चुनौती नही दी। सर्वप्रथम 42 वर्ष पश्चात यह कहकर कि सन 2015 में जब मै काश्त करने गया तो रेस्पोडेंट रामप्रताप ने मुझे काश्त नहीं करने दिया तब मुझे जानकारी हुई। रेस्पो० खातेदार बन चुका है। प्रस्तुत वाद न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यू 2023 (2) पेज 1506 के परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 59 के आधार पर काल बाधित है और बैरून मियाद है क्योंकि इन्तकाल नंबर 39 की 42 वर्षों तक चुनौती नहीं दी गई है।

अपील मेमो की मद नंबर 7 में लिखा है कि इन्तकाल नंबर 39 दिनांक 01.09.1973 से खातेदारी मिली है इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट्स के इस तर्क मे कोई बल नहीं है क्योंकि राजस्व अधिकारियों, तहसीलदार, हल्का पटवारी ने संपूर्ण जांच करके मुताबिक कब्जा काश्त सम्वत 2010 से रेस्पोडेंट कम 1 मृतक रामप्रताप के नाम आराजी खाते दर्ज की है जो कि सबसे बड़ा सबूत है। न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2022 पेज 722 में प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये है लेकिन रेस्पोडेंट कम 1 का कब्जा मुताबिक हल्का पटवारी सम्वत 2010 से अर्थात टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रभावी होने के समय से था इस आधार पर खातेदारी दर्ज की गई है जो कि सर्वथा उचित व विधि सम्मत है। रेस्पोडेंट कम 1 तत्पश्चात रेस्पोडेंट कम 1/1 सन् 1973 से रिकार्डेड खातेदार चले आ रहे है। रेस्पोडेंट कम 1 अनूसूचित जनजाति का सदस्य है और

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लगातार 51–52 वर्षों से रिकार्डेड खातेदार, है, खातेदारी मिलने के पश्चात एक सवर्ण जाति के सदस्य द्वारा वापिस खातेदारी खारिज करवाकर कब्जा लेना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है और अपीलान्ट की अपील में कोई कानूनी तथ्यात्मक बिन्दू सार हित नही होने की वजह से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सर्वथा उचित है।

विद्वान अभिभाषक रेपोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2023 पेज 1506, आर.बी.जे. 2022 पेज 722, आर.बी.जे. 2023 पेज 1, आर.बी.जे. 2023 पेज 398, आर.बी.जे. 2023 पेज 270 (एच.सी.) की नजीरे उद्धरत की।

हमने अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम पीपल्दाकलां तहसील किशनगंज जिला बारां में हाल खसरा नं. 89 रकबा 0.04 बीघा एवं खसरा नं. 231 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा आराजी जमाबंदी सेटलमेंट सम्वत 2016 से 2035 के अनुसार कान्हा, हीरा हजारा पिसरान भैरू 1/2 व रतना पुत्र जगन्नाथ 1/2 कौम गुर्जर के नाम दर्ज थी। जिसमें प्रतिवादी कम 1 ने वादग्रस्त आराजी का एक नामांकन संख्या 39 दिनांक 01.09.1973 को तस्दीक करवा लिया, जिसमें यह लिखा गया है कि वादग्रस्त आराजी पर आदेश तहसील दिनांक 17.08.1973 से कान्हा, हीरा, हजारा पिसरान भैरू 1/2 व रतना वल्द जगन्नाथ के खाते की आरजी 9 बीघा 15 बिस्वा पर रामप्रताप पुत्र भीमडा जाति मीणा निवासी पीपल्दाकलां का कब्जा मुताबिक है। जबकि यह भूमि कभी तत्कालीन खातेदारान या उनके वारिसों ने अथवा किसी भी व्यक्ति ने रेस्पोडेंट कम 1 को न तो बेचान की है, न दान की है, न वसीयत की है। केवल मात्र इंतकाल के कॉलम नं. 16 में यह लिख दिया गया है कि खातेदारान के बजाय रामप्रताप पुत्र भीमडा मीणा के कब्जे में चली आ रही है, इस कारण उसकी खातेदारी दर्ज कर दी जावे। जबकि कब्जे बाबत् रामप्रताप ने कोई सबूत पेश नहीं किया। इस इंतकाल में यह भी लिखा है कि उपरोक्त भूमि पर सम्वत् 2012 से रामप्रताप काबिज है किन्तु कब्जे बाबत् रामप्रताप ने सम्वत् 2012 से कोई खसरा गिरदावरी या कोई दस्तावेज जो कब्जे को साबित करता हो पेश नहीं किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 निरस्त करने एवं राजस्व रिकार्ड से रेस्पोडेंट कम 1 का नाम विलोपित किया जाकर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रदर्श पी–4 सम्वत 2016 से 19 की जमाबंदी, प्रदर्श पी–5 सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2016 से 2035 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कान्हा, हीरा हजारा पिसरान भैरू 1/2 व रतना पुत्र जगन्नाथ 1/2 कौम गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रदर्श पी 6 खसरा गिरदावरी सवंत 2016 से 2019, प्रदर्श पी–7 खसरा गिरदावरी सवंत 2020–23, प्रदर्श पी–8 खसरा गिरदावरी सवंत 2023 से 2026, प्रदर्श पी 12 खसरा गिरदावरी सवंत 2027 से 2030 के अनुसार कान्हा, हीरा हजारा पिसरान भैरू 1/2 व रतना पुत्र जगन्नाथ 1/2 कौम गुर्जर के नाम दर्ज है। प्रदर्श पी–13 नामान्तरण संख्या 39 है, जिसमें यह लिखा गया है कि "वादग्रस्त आराजी पर आदेश तहसील दिनांक 17.08.1973 से कान्हा, हीरा, हजारा पिसरान भैरू 1/2 व रतना वल्द जगन्नाथ के खाते की आरजी 9 बीघा 15 बिस्वा पर रामप्रताप पुत्र भीमडा जाति मीणा निवासी पीपल्दाकलां का कब्जा मुताबिक है इस कारण उचित आदेशार्थ है।" यह रिपोर्ट पटवारी द्वारा दिनांक 25.08.1973 को की गयी है एवं दिनांक 01.09.1973 को रामेश्वर प्रसाद द्वारा नामांतरण तस्दीक किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पी.डब्ल्यू.–1 बृजमोहन के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है तथा डी.डब्ल्यू.–1 रामप्रताप के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 5 तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट व प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत दावा व जवाबदावा के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की गयी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.09.2021 में वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जो प्रदर्श कराये गये थे उनके आधार पर तनकीयात का विधिवत विश्लेषण करते हुए कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात को वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष व विपक्ष में निर्णित करने के कारणों का अंकन किया है जबकि सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार तनकीयात कायम करने के उपरान्त प्रत्येक तनकी का विश्लेषण करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पूर्व में बनायी गयी प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य एवं दस्तोवज के आधार पर प्रत्येक तनकी का विश्लेषण करते हुए पुनः नये सिरे तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारन को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.03.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/01/25

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा